मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

क्रमांक : 80 /श्रम विभाग /2020 भोपाल, दिनांक 17 /07/2020

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
4. समस्त आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय, मध्यप्रदेश।
5. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी, मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषय: मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 के अंतर्गत अन्त्येष्टि सहायता की राशि समय-सीमा में प्रदाय किए जाने बाबत् ।

संदर्भ: 1. इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 589/पी.एस./श्रम/2018 भोपाल, दिनांक 29.05.2018 ।

2. इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक/अशग्रा/स्था/2018/739-746 भोपाल, दिनांक 10.07.2018 ।

***

प्रदेश के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उनके हित संवर्धन हेतु मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018, संदर्भित ज्ञापनों के अनुसार संचालित है। इस योजना का एक घटक अन्त्येष्टि सहायता योजना का है। अन्त्येष्टि सहायता के संबंध में मैदानी स्तर के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित है वह निम्नानुसार है-

1. यह कि इस योजना के अंर्तगत प्रत्येक ग्राम पंचायत में रूपये 10,000/- नगर परिषद में रूपये 50,000/-, नगर पालिका में रूपये 1,00,000/- एवं नगर निगम ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल में रूपये 5,00,000/- तथा शेष नगर निगमों में रूपये 2,00,000/- की अग्रिम राशि राज्य स्तरीय नोडल बैंक खाते से प्रदाय की गई थी तथा सतत रूप से ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के बैंक खातों में ऑटो प्रतिपूर्ति की जाती है।
2. यह कि ग्राम पंचायत सचिवों अथवा संबंधित निकाय के अधिकृत अधिकारियों द्वारा उक्त खाते से संबल योजना में पंजीकृत असंगठित श्रमिक अथवा उसके परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर जीवित उत्तराधिकारी को 5,000/- रूपये नगद तत्काल ही प्रदाय किए जाने के निर्देश हैं। संबंधित सचिव/नगरीय निकाय के अधिकृत अधिकारी द्वारा राशि के भुगतान का पंचनामा जिसमें मृतक का नाम, उससे संबंधित पंजीयन क्रमांक, मृत्यु दिनांक का उल्लेख किया जाता है तथा पंचनामे पर मृतक के उत्तराधिकारी जिसने राशि प्राप्त की है उसके एवं परिवार के एक अन्य सदस्य, एक पड़ोसी तथा ग्राम के सरपंच/पंच/निगरानी समिति के किसी एक सदस्य के हस्ताक्षर लिए जाते हैं और उनका नाम तथा मोबाईल नम्बर भी अंकित किया जाता है।
3. यह कि संबंल पोर्टल पर पजींकृत असंगठित श्रमिक अथवा उसके परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर ग्राम पंचायत के सचिव अथवा नगरीय निकाय के अधिकृत अधिकारी द्वारा

मृत्यु दिनांक से 07 दिवस की अवधि के भीतर पोर्टल पर मृत्यु घोषित करनी होती है एवं उसके उपरान्त भुगतान की जानकारी सहित पूर्ण आवेदन दर्ज करना एवं भुगतान पंचनामा अपलोड करना होता है। सचिव अथवा नगरीय निकाय के अधिकृत अधिकारी द्वारा पोर्टल पर उक्त कार्यवाही किए जाने के उपरान्त भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/मुख्य नगर पालिका अधिकारी/आयुक्त नगर निगम) के लॉगिन में प्रदर्शित होने लगता है तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृति एवं डिजीटल साईन करते ही संबल के नोडल खाते से प्रतिपूर्ति की राशि संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के खाते में हस्तानांतरित हो जाती है।

4. यह कि वर्तमान में यह देखने में आ रहा है कि पोर्टल पर अन्त्येष्टि सहायता राशि की प्रतिपूर्ति में निम्नानुसार कारणों से बिलम्ब हो रहा है-

I. यह कि मृत्यु की घोषणा मृत्यु दिनांक से निर्धारित 07 दिवस के अन्दर पोर्टल पर रिपोर्ट नहीं करना। ऐसा होने पर अन्त्येष्टि सहायता का प्रकरण पोर्टल स्वीकार नहीं करता है अर्थात ऐसे प्रकरणों में हितग्राही अन्त्येष्टि सहायता राशि से वंचित हो जाते हैं।

II. यह कि पोर्टल पर मृत्यु की घोषणा मृत्यु दिनांक से निर्धारित 07 दिवस में रिपोर्ट करने के बाद ग्राम पंचायत के सचिवों/नगरीय निकायों के अधिकृत अधिकारियों द्वारा अन्त्येष्टि योजना का आवेदन व पंचनामा पोर्टल पर अपलोड कर टॉप-अप हेतु विहित प्राधिकारी को सबमिट करने में बिलम्ब के कारण कई बार संबंधित पंचायत/ नगरीय निकाय में अग्रिम रूप से उपलब्ध कराई गई राशि समाप्त हो जाती है।

III. यह कि पोर्टल पर अन्त्येष्टि सहायता योजना की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु पंचायत सचिवों/नगरीय निकायों के अधिकृत अधिकारियों द्वारा आवेदन दर्ज करने के उपरान्त कई प्रकरणों में विहित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदाय करने एवं स्वीकृति आदेश पर डिजीटल साईन करने में अत्याधिक बिलम्ब किया जाता है, जिससे संबंधित पंचायत/नगरीय निकाय के इस हेतु निर्धारित खाते में प्रतिपूर्ति की राशि जमा नहीं हो पाती है।

IV. यह कि संबंधित हितग्राहियों को राशि प्रदाय कर दी गई हो परन्तु पोर्टल पर समय-सीमा में मृत्यु घोषित न की गई हो और अब अवधि 7 दिवस से अधिक होने से राशि की प्रतिपूर्ति न हो पा रही हो।

5. यह कि अन्त्येष्टि सहायता योजना के राज्य स्तरीय नोडल बैंक खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध है तथा ग्राम पंचायतों/नगरीय निकायों को व्यय की प्रतिपूर्ति सतत रूप से किए जाने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। इस हेतु कंडिका 4.(I) से 4.(IV) की सतत मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन किया जाना आवश्यक है।

6. अत: कृपया आप अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतों/जनपद पंचायतों तथा नगरीय निकायों में संवल के अंतर्गत अन्त्येष्टि सहायता योजना के प्रकरणों की समीक्षा सतत रूप से सुनिश्चित करें एवं समीक्षा में यदि बिलम्ब कारित होने के कारण संतोषजनक न हो तो इस हेतु जिम्मेदार कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना भी सुनिश्चित करें।

न:- उपरोक्तानुसार।

(डॉ. राजेश राजोरा)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र शासन, श्रम विभाग

पृष्ठा.क्रमांक: 81 /श्रम विभाग /2020 भोपाल, दिनांक 17 /07/2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. मुख्य सचिव के उप सचिव/स्टॉफ ऑफिसर, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर।
8. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
9. आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
10. सचिव, मध्यप्रदेश असंगिठत कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
11. श्री सुनील जैन,सीनियर टेक्नीकल डायरेक्टर, एनआईसी, विन्ध्यांचल भवन, भोपाल को उपरोक्त कार्य पोर्टल पर संपादन किए जाने की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. विभागीय रिकार्ड फाईल।

अपर मुख्य सचिव
मप्र शासन., श्रम विभाग